

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली) राज 0**

पीठसीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 41/2007
GCMS NO. : 2007/00077

--: वादीगण :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

1. मोहम्मद ईशाक पुत्र जफर अली के कायम मुकाम
1/1. अहसान पुत्र मो. ईशाक
1/2. इरफान पुत्र मो. ईशाक
1/3. खातून बेवा मो. ईशाक
2. खुदाबक्ष पुत्र रहीमबक्ष जातियान- मुसलमान, निवासीगण- जैतारण
तहसील-जैतारण जिला-पाली राज।

1. नगरपालिका जैतारण
2. अध्यक्ष नगरपालिका जैतारण
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका जैतारण तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम 1955,

तारीख रजु: 16/03/2007

उपस्थित:-

1. श्री चावण्ड दान बाहरठ, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री भगवती प्रसाद, श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक :- 02/02/2021

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि कस्बा जैतारण की सीम में खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि वाके है। यह कृषि भूमि वादी संख्या एक मरहूम मो. ईशाक व वादी संख्या खुदाबक्ष ने इसके खातेदार काश्तकार लाल मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन जैतारण से जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 16.12.1981 को खरीद की है। वक्त खरीद से खरीददार वादीगण का कब्जा उक्त कृषि भूमि पर है। नकल फोटो स्टेट रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 16.12.1981 व जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 2060 साथ पेश है। उक्त रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 16.12.1981 में बेचानकर्ता ने जो दस्तावेज बेचान तकमील किया उसमे उसने अपना कब्जा काश्त मौके पर 5 बीघा जमीन पर होना बताया और इसी अनुसार बेचानकर्ता ने वादीगण को उक्त 5 बीघा कृषि भूमि का कब्जा मौके पर सौंप कर बेचान दस्तावेज रजिस्टर करवाया है। इसलिये इस प्रकार से मौके पर पहले बेचानकर्ता व बाद में खरीददार उक्त 5 बीघा कृषि भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक बिना किसी तरह के रोकटोक के अपने जायज अधिकारी अनुसार काबिज है तथा अपनी कृषि भूमि का उपयोग कर रहे है। सेटलमेन्ट के पूर्व से ही पहले बेचानकर्ता अपनी खातेदारी की 3 बीघा 17 बिस्वा व 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 05 बीघा पर लाल मोहम्मद कृषि भूमि पर काबिज था तथा काश्त करता था तथा सेटलमेन्ट के उक्त बेचानकर्ता लाल मोहम्मद दिनांक 16.12.1981 को अपनी कब्जे काश्त तथा खातेदारी की कृषि भूमि पर जिस कदर 5 बीघा जमीन पर काबिज था, बेचान कर कब्जा सौंप दिया है। जिस पर आज दिन मौके पर 05 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण खरीददार शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के अपने जायज हकूकों के

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अनुसार करीबन 60 वर्षों से बेचानकर्ता व खरीददार काबिज है। इसलिये लॉ ऑफ एडवर्स पजेशन सिद्धान्त से भी उक्त 05 बीघा कृषि भूमि में वादीगण को कानून की मन्शा से भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, क्योंकि गत 60 वर्षों से बेचान-कर्ता व खरीददार वादीगण के कब्जे व काशत में किसी राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी या स्थानीय निकाय या पूर्व की ग्राम पंचायत ने भी उनके कब्जे व काशत में कोई भी व्यवधान नहीं डाला या कोई ऐतराज तक नहीं किया है। इसलिये इस 60 वर्षों के लम्बे काल में बिना किसी तरह के रोकटोक व व्यवधान के शांतिपूर्वक वादीगण काबिज है। इसलिये वादीगण को कानून की निगाह में कुल 05 बीघा भूमि में लॉ ऑफ एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त से भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है और राजस्व विभाग या स्थानीय निकाय विभाग वादीगण से उक्त कृषि भूमि 01 बीघा 03 बिस्वा का कब्जा प्राप्त करने या बेदखल करने के अधिकार म्याद बाहर हो गये है। इसलिये वादीगण 01 बीघा 03 बिस्वा आराजी के खातेदार-काशतकार है। इसलिये उक्त खसरा नम्बर 68 आज भी राजस्व रेकॉर्ड में जमाबन्दी अनुसार वादीया की खातेदारी व कब्जा काशत की कृषि भूमि है। जिसके चारों तरफ नींव खोद कर दिवारें कही पर 04 फुट कहीं पर 03 फुट कहीं पर 02 फुट की ऊंचाई में पत्थर व चूना से चुनाई कर चार दीवारी बनाई गई है, जो मौके पर मेड़ता सिटी रोड़ की तरफ पूर्व में 475 फुट लम्बाई में है तथा पश्चिम की तरफ पानी का नाला पर 527 फुट लम्बी है तथा उत्तर में रास्ता की तरफ 200 फुट एवं दक्षिण में शोरूम महिन्द्रा ट्रैक्टर की तरफ 132 फुट हैं। वादीगण ने उक्त चार दीवारी अपनी कब्जे काशत की भूमि के सुरक्षार्थ तथा अपनी खातेदारी अधिकारों के तहत बनाई है। जिसमें राजस्व विभाग ने कोई भी आज दिन तक ऐतराज नहीं किया है। ऐसा चार दीवारी निर्माण कानून की निगाह में एक सुधार की परिभाषा में आता है। खातेदार को करने का कानूनी अधिकार है। चार दीवारी निर्माण ऊपर बताये अनुसार नाप का मौका पर सम्पूर्ण होने पर नगरपालिका जैतारण ने एक नोटिस वादीगण को अवैध निर्माण बताकर दिनांक 14.02.2017 को दिया है। जबकि उक्त निर्माण कृषि भूमि में खातेदारी भूमि के सुरक्षार्थ खातेदार ने करवाया है, जिसमें नगरपालिका को हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तत्पश्चात् दिनांक 19.02.2007 को नगरपालिका जैतारण के अधिशाषी अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता ने मौका पर किये गये निर्माण वाले भाग का नाप कर नक्शा जो कार्यलय टिप्पणी पर तैयार किया गया जिससे भी स्पष्ट होता है कि वादीगण इसमें बताये गए नाप के अनुसार मौके पर काबिज है। नकल फोटो स्टेट नोटिस व कार्यालय टिप्पणी पर जे.ए.एन द्वारा नाप कर तैयार नक्शा की फोटो स्टेट साथ पेश है। वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी वादीगण को बिना किसी आधार पर उक्त निर्माण जो चार दीवारी का किया है, उसे बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये तोड़ने पर आमदा है तथा वादीगण को बेदखल करने की साजिश कर रहे है। इसलिये वादीगण की ओर से यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है, क्योंकि प्रतिवादीगण नगरपालिका को केवल मात्र आबादी क्षेत्र की किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी तरह से कोई भङ्गी निर्माण हो रहा हो तो कोई भङ्गी कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार है। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग को ही एक मात्र कानूनी कार्यवाही का अधिकार है। इसलिये वादीगण अपनी कृषि भूमि और अपनी खातेदार कब्जा काशत की भूमि के हक हक्कों के सुरक्षार्थ यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के पेश कर रहे है। बिनाय वाद दिनांक 14.02.2007 को नोटिस देने पर तथा बाद में निर्माण कार्य को तोड़ने का ईरादा जाहिर करने पर स्थान जैतारण में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व अदालत बाला के क्षेत्राधिकार में है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदाव तलब किये गये। प्रतिवादीगण कि तरफ से वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश किया जो सा०मि० है। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में जाहिर किया कि वाद के पैरा संख्या 01 का जवाब वादीगण ने दिनांक 16.12.1981 को खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा खरीद की इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं हैं, इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य जानकारी के अभाव में प्रतिवादीगण नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। वाद पत्र के पैरा संख्या दो का जवाब है कि दिनांक 16.12.1981 में बेचानकर्ता ने जो दस्तावेज वादीगण के नाम से तकमील किया है, जो खसरा नम्बर 68 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि का जी बेचान किया था, शेष इसके पड़ोस में स्थित खसरा नम्बर 67 की भूमि का बेचान नहीं किया था। जो वादीगण का 5 बीघा कृषि भूमि पर मौके पर कब्जा सौपने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और न ही बेचान के पूर्व में बेचान कर्ता का 5 बीघा भूमि पर कब्जा था। केवल मात्र इस बेचान की ओट जो खसरा नम्बर 0-18 बिस्वा गस्तुमूनीन खड्डा की भूमि है, जो नगरपालिका जैतारण के अधीन है। इस जमीन पर वादीगण ने अवैध अतिक्रमण करने की नियत से अपना कब्जा बताना चाहते है। जो गैर कानूनी है, न तो वादीगण का कभी इस जमीन पर कब्जा रहा न ही इसके पूर्व में बेचानकर्ता का कब्जा था। जब मौके पर खसरा नम्बर 68 की भूमि केवल 3 बीघा 17 बिस्वा की ही खातेदारी थी, जो जरिये रजिस्टर्ड सैल डीड के बेचान की थी। मौके पर 5 बीघा जमीन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, केवल उक्त बेचान की ओट में खसरा नम्बर 67 की जमीन हड़पने की नीयत से झूठे तथ्यों का उल्लेख करके वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनी रूप मेन्डीनेबल नहीं हैं। काबिल खारिज के है, जो मय खर्च के खारिज फरमावे। इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से प्रतिवादीगण नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। वाद पत्र के पैरा संख्या तीन का जवाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से प्रतिवादीगण नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। प्रतिवादीगण ने केवल मात्र खसरा नम्बर 68 की कृषि भूमि रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा की जमीन ही खरीदी थी। इसके अलावा 1 बीघा 3 बिस्वा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68 का भाग नहीं है, यह जमीन इसके चिपते ही खसरा नम्बर 67 व इसके पास चिपते ही अन्य खसरा नम्बर की जमीन का भाग है, इस पर सेटलमेन्ट के पूर्व से लेकर आज तक कभी भी लाल मोहम्मद का कब्जा नहीं रहा था और न ही काश्त की थी। केवल मात्र इस फिकर में बेचाननामा दिनांक 16.12.1981 की ओट में गलत अपना कब्जा बताकर एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधार पर नगरपालिका जैतारण के अधीन स्थित खसरा नम्बर 67 की जमीन हड़प करना चाहते है, जो वादीगण को कानूनी रूप से ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, जब पूर्व में लाल मोहम्मद का कब्जा ही नहीं था और न ही खातेदारी थी तो 5 बीघा की जमीन वादीगण को सुपुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने इस फिकरे में अपनी प्लीडिंग में 60 वर्षों से बेचानकर्ता व खरीददार वादीगण का कब्जा होने का तथ्य केवल मात्र प्रतिवादीगण के अधीन स्थित खसरा नम्बर 67 की जमीन हड़पने की नीयत से एवं वाद पत्र प्रस्तुत करने की गरज से तथ्य अंकित किया है। जो गलत है, जब खसरा नम्बर 67 की जमीन नगरपालिका जैतारण के अधीन है, तो राजस्व विभाग द्वारा कोई एतराज करने का प्रश्न की पैदा नहीं होता है और वादी संख्या एक मोहम्मद एहसान ने दिनांक 17.02.2007 को चार दीवारी की निर्माण स्वीकृति हेतू प्रार्थना-पत्र पेश किया था, जो प्रतिवादीगण ने मौके की जांच कर मौका देख कर और दस्तावेजात का अवलोकन कर नगरपालिका जैतारण ने मोहम्मद एहसान

द्वारा प्रस्तुत निर्माण स्वीकृति का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया क्योंकि खसरा नम्बर 68 रकबा 0 बीघा 17 बिस्वा की जमीन के अलावा अवैध अतिक्रमण की हुई जमीन का कोई स्वामित्व बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया। निर्माण स्वीकृति खारिज करने की सूचना नगरपालिका जैतारण द्वारा दिनांक 19.09.2008 को मोहम्मद ऐहसान को सूचित किया गया था। जिसकी फोटो प्रति इस जवाब दावा के साथ पेश है, जो जवाब दावा का एक भाग माना जावे। और खसरा नम्बर 67 की जमीन नगरपालिका, जैतारण के अधिन है, इस पर वादीगण द्वारा अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश की तो नगरपालिका, जैतारण ने वादीगण को दिनांक 18-6-2008 को नोटिस दिया गया और निर्माण कार्य बंद करवाया गया और पुलिस इमदाद हेतु लिखा गया, इसके पूर्व में तहसीलदार, जैतारण द्वारा दिनांक-01-04-2007 को मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, इसे भी स्पष्ट है कि मौके पर खसरा नम्बर 67 रकबा 0-18 बिस्वा गैर मुमकीन खड्डा की जमीन नगरपालिका, जैतारण के स्वामित्व की है, इस पर वादीगण का कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति अक्टूबर 2064 से 2065 तक तहसीलए जैतारण की मौका रिपोर्ट व नगरपालिका, जैतारण द्वारा दिये गये नोटिस की फोटो स्टेट प्रति नगरपालिका, जैतारण द्वारा की गई कार्यवाही की समस्त फोटोस्टेट प्रतियां इस जबाब दावा के साथ पेश है, जो जबाब दावा का एक भाग माना जावे। प्रतिवादीगण के अधिन स्थित खसरा नम्बर 67 की जमीन पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और न ही पूर्व में बैचान कर्ता का कब्जा था। तो एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त कभी भी लागू नहीं होता है तथा खसरा नम्बर 67 की जमीन जो नगरपालिका के अधिन है। इस जमीन के चारो तरफ, चार दिवारी निर्माण करने का का संवैदक श्री राठौड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर को दिया गया, जब सवेदक ने लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आदेशानुसार चार दिवारी निर्माण के लिये मौके पर सवेदक की लेबर नीवें सौदेते गई तब वादी इरफान पुत्र ईसाक व 74 व्यक्तियों ने नीव नहीं खोदने दी। न ही कार्य करने दिया, इस रिपोर्ट के आधार पर अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, जैतारण द्वारा पुलिस थाना जैतारण में एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 16-12-2008 को प्रस्तुत की जो प्रकरण जैर अनुसंधान है। नकल कई ऑर्डर, ठेकेदार की रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटो स्टेट प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण शेष भूमि एक बीघा तीन बिस्वा की भूमि के खातेदार नहीं है, न ही कभी पूर्व में कब्जा रहा, अभी हाल ही खसरा नम्बर 68 की जमीन के अलावा अन्य खसरा नम्बर की जमीन पर यानि कि खसरा नम्बर 67 की जमीन पर चारो तरफ, नीवें खोद कर अवैध अतिक्रमण करने की नीयत से एवं नगर पालिका, जैतारण के स्वामित्व की जमीन हड़प करने की नीयत से मौके पर बिना नगरपालिका जैतारण की स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य करने की नीयत से मेडतासिटी की तरफ पूर्व में 475 फुट लम्बाई में तथा पश्चिम की तरफ पानी के नाले पर 527 फुट लम्बी और उत्तर में रास्ता की तरफ 200 फुट और दक्षिण की तरफ 132 फुट में एवं कई 4- फुट, कहीं 3 फुट व कहीं 2 फुट ऊंचाई अवैध निर्माण कर चार दिवारी निकाली जो अवैध अतिक्रमण है, जो वादीगण को प्रतिवादीगण के स्वामित्व की जमीन पर ऐसा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत करने की नीयत से जमीन हड़पने को नीयत से बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है, काबिल खारिज के है। जो मय खर्च खारिज फरमावे। इसके अलावा फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से प्रतिवादीगण नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 चार का जबाब है कि वादीगण द्वारा जो चार दिवारी का अवैध निर्माण किया

जो यह जमीन नगरपालिका, जैतारण के स्वामित्व की जमीन है, इस पर वादीगण को अवैध निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वादीगणों द्वारा नगरपालिका, जैतारण की जमीन हड़पने की नीयत से अवैध निर्माण करने पर जो नोटिस दिया है। वो कानूनी रूप से सही दिया गया है, ऐसा अवैध निर्माण करने का वादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। वाद पत्र के पैरा संख्या 5 का जबाब है कि दिनांक 19.12.2007 को नगरपालिका, जैतारण के अधिशाषी अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता ने वादीगण द्वारा किये गये नगरपालिका, जैतारण की जमीन में अवैध निर्माण का नाप चौप व नवशा बनाया जिससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी की जमीन नहीं होते हुए भी नगरपालिका, जैतारण की जमीन हड़पने की नीयत से अवैध निर्माण किया है, जो मौका रिपोर्ट से वादीगण का अवैध अतिक्रमण स्पष्ट रूप से साबित है। जो ऐसा अवैध अतिक्रमण वादीगण द्वारा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से प्रतिवादीगण नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। वाद पत्र के पैरा संख्या 6 का जबाब है कि खसरा नम्बर 68 के पास स्थित खसरा नम्बर 67 की जमीन नगरपालिका, जैतारण के स्वामित्व की है, इस पर वादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने का पूर्ण अधिकार है, जब उक्त आराजी की जमीन नगरपालिका, जैतारण के स्वामित्व की है, तो वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण को कानूनी कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चाहे वह कैसी भी जमीन नगरपालिका के अधीन हो वादीगण ने अपने वाद पत्र के इस फिकरे में बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है, काबिल सारिज के है, जो मय मय खारिज फरमावें। वाद पत्र के पैरा संख्या 07 का जबाब है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी तरह का उक्त दिनांक को बिनाय दावा प्राप्त नहीं होता है, वादीगण द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण व निर्माण को प्रतिवादीगण द्वारा हटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र के पैरा संख्या 8 का जबाब है कि झ पिकरे में वर्णित बिन्दू कानूनी है, जो गौर उदालत बाला के है। वाद पत्र के पैरा संख्या नौ का जबाब है कि मालियत दावा बाबत कोर्ट फीस का बिन्दू कानूनी है। वाद पत्र के पैरा संख्या 10 का जबाब है कि इस्तदुआ का जबाब निम्न है खसरा नम्बर 68 रकब बीघा 17 बिस्वा की कृषि भूमि वादीगण की राजस्व रेकर्ड के अनुसार है व 1-03 बीघा की जमीन जो वाद पत्र के पैरा संख्या 01 व 06 में नाप चौप के बीच जो भूमि दर्शायी है, वह सम्पूर्ण जमीन खसरा नम्बर 68 का भाग नहीं है, खसरा नम्बर 67 की जमीन जो खसरा नम्बर 68 के चिपते ही है, जो यह भूमि नगरपालिका, जैतारण के स्वामित्व की है। खसरा नम्बर 67 की जमीन पर बिना स्वामित्व एवं बिना कानूनी अधिकार के किसी तरह से अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, जो 1-03 बीघा जमीन पर बिना नगरपालिका की स्वीकृत के अवैध निर्माण किया है, जो कानून की निगाह में अवैध अतिक्रमण है। जिसे नगरपालिका, जैतारण द्वारा हटाने का पूर्ण कानूनी अधिकार है, इसलिये वादीगण की बिना खातेदारी की एवं बिना स्वामित्व की जमीन पर अवैध अतिक्रमण की ओट में किसी भी तरह से प्रति वादीगण के विरुद्ध कोई रथाई निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और न ही किसी भी तरह से प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी कार्य करने से रोका जा सकता है। खसरा नम्बर 68 के चिपते ही खसरा नम्बर 67 की कृषि भूमि नगरपालिका, जैतारण की है, जो इससे सम्बन्धित नगर पालिका, जैतारण द्वारा वादीगण द्वारा यानि प्रतिवादीगण द्वारा कार्य करने का पूर्ण अधिकार है, यदि नगरपालिका, जैतारण के

सहायक कानून पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्वामित्व की भूमि पर वादीगण का अवैध अतिक्रमण प्रतिवादीगण द्वारा हटाने से एवं हटाने की कोर्ट ही करने से कानूनी रूप से नहीं रोका जा सकता है। इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र की ओट में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के स्वामित्व की जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को कानूनी रूप से हटाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी भी तरह से स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से मेन्टीनेबल नहीं है। काबिल खारिज के है, जिसे मय खर्चों के खारिज फरमावें। जवाब दावों की रूह से अन्य कोई दादरसी प्रतिवादीगण के हक में अता फरमावें। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण को वादीगण से दिलवाया जावें।

तनकियात कायम की गई। शहादत वादीगण पेश हुई, शहादत वादी में खातून बेवा मोहम्मद ईशाक का साक्ष्य शपथ पत्र P/W - 01, गवाह अब्दुल सकूर P/W - 02, गवाह उस्मान पुत्र जमालुदीन ने P/W - 03 पेश हुये, जो सा0मि0 है। जिरह पूर्ण की गई। अन्य शहादत वादीगण पेश नहीं करने से शहादत वादीगण बन्द की गई। शहादत प्रतिवादी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 03 हरिशचन्द्र गेहलोत पुत्र श्रीमाराम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण का साक्ष्य शपथ पत्र D/W - 01 पेश हुआ। जिरह हेतू उपस्थित नहीं होने से शहादत प्रतिवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की, जो सा0मि0 है।

हमने पत्रावली वादपत्र एवं साक्ष्य शपथपत्रों सहित अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया तथा अधिवक्ता वादी की लिखित बहस का अवलोकन किया। प्रकरण का विवाद्यक अनुसार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. आया कस्बा जैतारण को सीमा में कृषि भूमि ख0न0 68 रकबा, जो मौका पर 5-01 बीघा है। यह आराजी वादीगण ने तत्कालीन खातेदार लाल मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद जुलाहा से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 16.12.1981 से खरीद की। तथा इसी बेचान नामांक मौका पर वादीगण 05-01 बीघा जमीन पर काबिज है व काश्त करते है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र P/W- 1, P/W- 2, P/W- 3, जमाबन्दी सम्वत् 2057-2060 ग्राम जैतारण प्रदर्श-3, से यह स्पष्ट है कि वादीगण जैतारण खसरा संख्या 68 रकबा 03-17 बीघा कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार है। प्रदर्श-4ए विक्रय विलेख दिनांक 16.12.1981 में विक्रेता श्री लाल मोहम्मद द्वारा खसरा संख्या 68 के विक्रय विलेख में मौके पर 05-01 बीघा भूमि होने का कथन अंकित किया है। जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 ग्राम जैतारण के अनुसार खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा गैर मुमकिन खड्डा जो की नगरपालिका जैतारण की अधीनस्थ भूमि के नाम अंकित है। नकल नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 68 व 67 की भूमि परस्पर पर लगती हुई है। प्रदर्श- 6 व प्रदर्श- 5ए से स्पष्ट है कि अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण द्वारा वादीगण को नगर पालिका कि बिना आज्ञा के भवन निर्माण एवं अतिक्रमण के आरोप में धारा 170/203 नगर पालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है तथा अभिलेख से यह साबित है कि वादीगण खसरा संख्या 68 कुल रकबा 03-17 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार लाल मोहम्मद द्वारा वादीगण भूमि बेचान करते विक्रय विलेख में मौके पर 05-01 बीघा भूमि होना कथन अंकित करवाया था जो कि आधारहीन एवं अभिलेख से साबित नहीं होता है क्योंकि खसरा संख्या 68 की भूमि मौके पर 03-17 बीघा अधिक नहीं हो सकती। इस प्रकार वादीगण द्वारा खसरा संख्या 67

सहायक नगरपालिका
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

की 0-18 बीघा भूमि जो नगर पालिका के नाम दर्ज है, पर विधि विरुद्ध रूप से अतिक्रमण किया गया है तथा ऐसा अतिक्रमण बेदखल करने के लिए कानूनन नगरपालिका मण्डल सक्षम है। इस प्रकार यह विवाद्यक वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

2. आया वक्त सेटलमेंट के व बेचान करने से पूर्व उक्त 5-01 बीघा भूमि पर बैचानकर्ता व बाद खरीद के उक्त आराजी 5-01 बीघा पर वादीगण मौका पर काबिज है व इनका कब्जा व काशत बिना किसी तरह की रोकटोक के शांतिपूर्वक चला आ रहा है। जिसको करीबन 60 वर्षों से भी ज्यादा समय हो चुका है। इसलिये वादीगण को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के एडवर्स पजेशन के आधार से भी खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या 01 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 68 का कुल रकबा 03-17 बीघा है तथा वादीगण द्वारा उक्त खसरे से लगती भूमि खसरा संख्या 67 जो नगर पालिका के नाम अभिलिखित है कि 0-18 बीघा भूमि पर विधि विरुद्ध रूप से अतिक्रमण किया गया है तथा इसकी किस्म गैर मुमकिन खड़्डा है। खसरा संख्या 67 की भूमि की किस्म से यह स्पष्ट है कि यह नाकाबिल काशत है, अर्थात् उक्त भूमि पर वादीगण द्वारा काशत किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काशत अधिनियम 1955 में विपरीत धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित होने तथा ऐसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। अतः यह विवाद्यक साबित नहीं होने से वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

3. आया वादीगण अपनी उक्त 5-01 बीघा कृषि भूमि के चारों तरफ चारदीवारी निर्माण करना शुरू किया तब मौका पर दिनांक 19.02.2007 को तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण व जेईएन ने मौका देखकर नक्शा बनाया, जिस नक्शा के माफिक भी वादीगण मौका पर काबिज है। इसलिये वादीगण के कब्जा में दखल व दस्तदांजी करने का नगरपालिका को कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 68 की 03-17 बीघा है ना कि 5-01 बीघा। प्रतिकुल धारण के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने या ऐसे अधिकारों की घोषणा किये जाने का राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। वादीगण का नगरपालिका जैतारण की भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण होने की दशा में अधिशासी अधिकारी वादीगण के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की गई जो कि नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारिता के अन्तर्गत कि गई। वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः यह विवाद्यक साबित नहीं होने से वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

4. आया वक्त सेटलमेंट व उसके बाद बेचान के पूर्व तक बैचानकर्ता लाल मोहम्मद 5-01 बीघा कृषि भूमि पर काबिज था तथा बाद बैचान के खरीददार वादीगण आज तक मौके पर काबिज है। यह कृषि भूमि है। इसलिये नगरपालिका को कोई भी दखल व कार्यवाही करने का अधिकार प्रतिवादीगण के खिलाफ नहीं है। नगरपालिका केवल आबादी भूमि के सम्बन्ध में ही कार्यवाही करने को सक्षम है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 67 जो कि नगरपालिका जैतारण के नाम दर्ज है तथा जिसका रकबा 0-18 बीघा है। नगरपालिका अधिनियम 1959 एवं

सहायक जैतारण जेईएन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2009 के अन्तर्गत नगरपालिका मण्डल को अपनी समस्त सम्पतियों एवं भूमियों को अभिलेख एवं अतिक्रमण मुक्त रखने का विधिक अधिकार प्राप्त है। चूंकि यह स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी भूमि का कुल रकबा 03-17 बीघा ही है तथा इसके अतिरिक्त अर्थात् 00-18 बीघा भूमि नगरपालिका जैतारण की खसरा संख्या 67 की है। जिस पर बेदखली की कार्यवाही के लिए नगरपालिका कानून सक्षम है। अतः विवाद्यक साबित नहीं होने से वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

5. आया नगरपालिका के नाम जो नामान्तरणकरण बताया जा रहा है। वह म्यूटेशन बिना मौका के कब्जा बाबत जांच व वादीगण का कोई भी नोटिस नहीं देने से कानूनन अवैध व शून्य है व वादीगण के खिलाफ बेअसर है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो की नगरपालिका के नाम दर्ज नामान्तरण वादीगण के विरुद्ध के बेअसर हो। वादीगण यदि वास्तव में ऐसे किसी नामान्तरण से विक्षुब्ध था तो उसे नामान्तरण के विरुद्ध अपील करनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई है। वादीगण यह भी स्पष्ट करने में असफल रहा है कि उसका खसरा संख्या 67 की नगरपालिका जैतारण की 0-18 बीघा भूमि पर किसी प्रकार हक-अधिकारी निहित है। अतः साबित नहीं होने से वादीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

6. आया खसरा नम्बर 67 रकबा 0-18 बीघा गैर मुमकिन खड्डा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में नगरपालिका के नाम अंकित है। जो इस पर मालिकाना अधिकार नगरपालिका जैतारण का है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा गैर मुमकिन खड्डा की भूमि भू अभिलेख में नगरपालिका के नाम अभिलिखित है। इस प्रकार उक्त भूमि नगरपालिका जैतारण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण का कोई हक एवं अधिकार साबित नहीं हुआ है। अतः उक्त भूमि के सम्बन्ध में समस्त हक एवं अधिकार नगरपालिका जैतारण में निहित है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. आया खसरा नम्बर 67 रकबा 0-18 बीघा की जमीन बैचाननामा दिनांक 16.12.1981 की ओट में हड़प करना चाहता है। जो कानूनी रूप से गलत है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। वादीगण द्वारा वादपत्र में उल्लेखित कथनों एवं प्रदर्श 4ए पंजीकृत बैचाननामा से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 68 के पूर्व खातेदार एवं विक्रेता लाल मोहम्मद विक्रय विलेख दिनांक 16.12.1981 में खसरा संख्या 68 की मौके पर 5-01 बीघा होना अंकित है। उक्त अंकन पूर्णतया आधारहीन है, क्योंकि भू अभिलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 68 की भूमि 03-17 बीघा ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विक्रय विलेख में कथित गलत अंकन के आधार पर खसरा संख्या 68 से लगते नगरपालिका जैतारण की भूमि खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर उस पर विधि विरुद्ध अपना हक दर्शित कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. आया खसरा नम्बर 67 रकबा 0-18 बीघा की जमीन पर वादीगण को अवैध अतिक्रमण करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ?


सहायक कलेक्टर पदेन
उपरखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1, 2, 3, 4 व 7 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा खसरा 67 रकबा 0-18 बीघा नगरपालिका जैतारण की भूमि पर विधि विरुद्ध रूप से अतिक्रमण किया गया है तथा इन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। नगरपालिका जैतारण खसरा 67 की 0-18 बीघा भूमि की अभिलिखित खातेदार है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. आया खसरा नम्बर 67 की जमीन के चारों तरफ चार दीवारी निकालने का ठेका श्री रावैड कन्सट्रक्शन कम्पनी जयपुर को दिया गया है। वादीगण द्वारा नीचे नहीं खोदने देने पर दिनांक 16.12.2008 को पुलिस थाना जैतारण में रिपोर्ट पेश की, जो जैर अनुसंधान है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। प्रतिवादी एवं अधिशासी नगरपालिका जैतारण द्वारा पत्रांक 2268-69 दिनांक 16.12.2008 से यह स्पष्ट है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा नगरपालिका की भूमि खसरा संख्या 67 पर चारदीवारी निर्माण ठेका श्री रावैड कन्सट्रक्शन कम्पनी जयपुर को देने एवं मौके पर वादीगण द्वारा चारदीवारी निर्माण में बाधा कारित करने पर इरफान पुत्र ईशाक व अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए थाना जैतारण को लिखा गया। प्रदर्श-1 से यह स्पष्ट है कि थाना अधिकारी जैतारण द्वारा इरफान पुत्र ईशाक के विरुद्ध धारा 447 भा. द. सं. के अन्तर्गत FIR दर्ज कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किया। जो दिनांक 19.08.2013 को निर्णित हुआ। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

10. आया वादीगण खसरा नम्बर 67 की जमीन नगरपालिका जैतारण के स्वामित्व की है। वादीगण अवैध अतिक्रमी है। इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 2 व 3 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 67 की 0-18 बीघा भूमि नगरपालिका जैतारण के नाम दर्ज है तथा इस पर वादीगण द्वारा विधि विरुद्ध अतिक्रमण किया गया है साथ ही इस भूमि के सम्बन्ध में वादीगण का हक-अधिकार साबित नहीं होता है। इसलिए इस भूमि के सम्बन्ध में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

11. आया माफिक वाद के वादीगण घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ?

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की है। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या 1 से 10 तक के विवेचन एवं उपलब्ध दस्तावेजात् से यह स्पष्ट है कि वादीगण ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 68 के कुल रकबा 03-17 बीघा एवं प्रतिवादी नगरपालिका जैतारण खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा दोनों खसरान् की भूमियां परस्पर लगती हुई है। वादीगण द्वारा खसरा संख्या 68 के पूर्व खातेदार लाल मोहम्मद द्वारा खसरा संख्या 68 की भूमि के विक्रय विलेख 16.12.1981 में कथित रूप से गलत अंकित 05-01 बीघा भूमि की आड़ में वादीगण द्वारा खसरा संख्या 67 की नगरपालिका की भूमि पर नाजायज अधिकार एवं अतिक्रमण किया गया है। जो कि काबिल बेदखली है तथा वादीगण खसरा संख्या 67 की 0-18 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के विधिक रूप

से अधिकारी नहीं है। अतः अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णय किया जाता है।

12. दादरसी - चूंकि विवाद्यक अनुसार पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णय से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण ग्राम जैतारण के खसरा संख्या 68 रकबा 03-17 बीघा के खातेदार है तथा इनके द्वारा विधि विरुद्ध रूप से खसरा संख्या 67 रकबा 0-18 बीघा भूमि जो कि नगरपालिका जैतारण के नाम दर्ज है पर अतिक्रमण किया गया है तथा उन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यह भूमि नगरपालिका जैतारण की सार्वजनिक भूमि की श्रेणी में आती है। अतः तहसीलदार जैतारण एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि खसरा संख्या 67 व 68 की भूमियों का मौके पर सीमांकन करते हुये, खसरा संख्या 67 की भूमि पर अतिक्रमण के रूप में निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त करें।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण का वाद भली भांति साबित नहीं होता है तथा वादीगण का खसरा संख्या 67 की 0-18 बिस्वा भूमि जो कि नगरपालिका जैतारण के नाम दर्ज है पर विधि विरुद्ध अतिक्रमण है, अतः वाद वादी खारिज करते हुए तहसीलदार जैतारण एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण को खसरा संख्या 67 व 68 की भूमियों का मौके पर सीमांकन करते हुये, खसरा संख्या 67 की भूमि पर अतिक्रमण के रूप में निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त किये जानें हेतु निर्देशित किया जाना विधि संगत एवं उचित समझते है।

--:: आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तहसीलदार जैतारण एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि खसरा संख्या 67 व 68 की भूमियों का मौके पर सीमांकन करते हुये, खसरा संख्या 67 की भूमि पर अतिक्रमण के रूप में निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त करें, तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला सहायक
(राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला सहायक
(राज.)



निर्णय आज दिनांक 02/02/2021 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।